न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /07/2016

1–कृष्ण चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व. श्री हरीचरन लाल
2–श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नि कृष्ण चन्द्र
3–यतीन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र

जाति वैश्य निवासी गोयल भवन, पंजाव नेशनल वैंक के ऊपर नई मण्डी भरतपुर हाल निवासी 401 पर्ल टॉवर ''सोमदत्त लैण्ड मार्क' सिविल सिविल लाईन्स, जयपुर राज0

.....अपीलार्थी0

बनाम

1–शशि भूषण अग्रवाल पुत्र पूरनचंद अग्रवाल
2–अन्नू अग्रवाल पत्नी शशि भूषण अग्रवाल
3–अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र केदानाथ अग्रवाल
4–सुनीता अग्रवाल पत्नी अनिलकुमार अग्रवाल
5–यशकुमार अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार अग्रवाल
6–रविन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र केदारनाथ अग्रवाल
7–रजनी अग्रवाल पत्नी रविन्द्र कुमार अग्रवाल
8–मनु अग्रवाल पुत्र रविन्द्र कुमार अग्रवाल

जाति वैश्य निवासी तहसील भरतपुर नई मण्डी भरतपुर,

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश दिनांक 14.10.2014 तहसीलदार भरतपुर व नामान्तकरण संख्या 1361 दिनांक 22.10.2014 बाके ग्रांम कस्वा भरतपुर चक नम्बर–2 तहसील भरतपुर

उपस्थितः–
1–श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री विजयसिंह कुन्तल अभिभाषक रेस्पो0 3लगा.5,

निर्णय

दिनांक 15.01.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश दिनांक 14.10.2014 तहसीलदार भरतपुर व नामान्तकरण संख्या 1361 दिनांक 22.10.2014 बाके ग्रांम कस्वा भरतपुर चक नम्बर–2 तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश 14.10.2014 की पालना में नामान्तकरण संख्या 1361 दिनांक 22.10.2014 को दर्ज किया जाकर रेस्पो0 के हक में स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टान द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। पत्रावली तहत

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

तलब की गई। रेस्पो0 3 लगा. 5, की ओर से अभिभाषक विजयसिह कुन्तल का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। शेष रेस्पो. बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। तहसीलदार भरतपुर के पत्र क्रमांक / एलआर / 2024 / 1208 दिनांक 6.3.2024 से प्राप्त पत्रावली नत्थीबद्ध की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि तहसीलदार भरतपुर ने स्व. श्री हरीचरन लाल द्वारा दिनांक 8.10.1992 को लिखी गई वसीयत के अनुसार गवाहन के बयानात लेकर जमाबन्दी में रेस्पो. के नाम अमल दरामद नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु दिनांक 14.10.2014 को आदेश दिये गये। उक्त आदेश दिनांक 14.10.2014 की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 1361 दिनांक 22.10.2014 को स्वीकार किया गया है। तहसीलदार भरतपुर के आदेश दिनांक 8.6.12 में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि तहत न्यायालय ने अपंजीकृत वसीयतनामा तारीखी 8.10.1992 के वसीयतकर्ता के विधिक वारिसानों व परिजनों को कोई नोटिस जारी नहीं किया ना ही कोई सूचना दी और ना ही अदालत तहत ने अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 8.10.1992 के वसीयतकर्ता के विधिक वारिसानों व परिजनों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि तथाकथित अपंजीकृत वसीयनामा दिनांक 8.10.92 के वसीयतकर्ता की मृत्यू दिनांक 24.8.93 को हो जाने के 21 वर्ष बाद लम्बी अवधि के पश्चात दाखिल खारिज हेतु आवेदन करने की वजह कारण पर कोई विचार नहीं कर नियम विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। कथित वसीयत को लेकर अपीलान्ट्स व रेस्पो. के बीच न्यायालय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) व न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर वाद विचाराधीन है। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्टस परवेदित है क्योंकि खसरा नम्बर 2023 व 2024 के अपीलान्ट भी सह हिस्सेदार हैं तथा उसके पीछे से बिना विभाजन कराये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.4.2016 को हुई। तब प्रार्थी ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.4.16 को नकल लेने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया था, मगर तहसील से उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति नहीं दी गई है, तत्पश्चात प्रार्थी अपीलान्ट ने आर.टी.आई के तहत नकल के लिये आवेदन किया, तहसील भरतपुर से प्रार्थी का आदेश दिनांक 28.4.16 की फोटो प्रति दी गई जिसके आधार पर अपील पेश की गई है। अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.4.2016 तारीख से अन्दर म्याद पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। रेस्पो. ने अपने प्राथमिक एतराज प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे.1997 पेज 182, आर.बी.जे.1997 पेज 257, आर.बी.जे.2023

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

पेज 644, आर.बी.जे.2018 पेज 446, आर.आर.डी. 1981 पेज 351, आर.आर.डी. 1995 पेज 576, उद्धरत करते हुये अपील को अन्दर म्याद शुमार कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मे गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। अपीलान्ट ने दो आदेशों की एक ही अपील पेश की गई है, अपीलान्ट को दोनों आदेश दिनांक 14.10.2014 एव 22.10.2014 की अपील अलग अलग करनी चाहिये थी, इसलिये अपील काबिल खारिज के है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का यह भी कथन है कि तहत न्यायालय ने वसीयत में अंकित किये गये प्रार्थीगण रेस्पो0 के हिस्से तक ही आदेश पारित किया है इसमें अपीलान्टान का कोई भी हिस्सा नहीं लिया है, इसलिये अपीलान्ट इस आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने से उन्हें अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। दाखिल खारिज एक फिसकल प्रोसिंडिग है जिसमें किसी भी पक्षकार के अधिकार तय नहीं होते हैं। तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में गवाहन वगे. एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय का हवाला देते हुये विस्तृत आदेश पारित किया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई तथा योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 1997 पेज 182, आर.वी.जे. 1997 पेज 257(डीबी), आर.बी.जे. 2023 पेज 644, आर.बी.जे. 2018 पेज 446, आर.आर. डी 1981पेज 351(एचसी)डीबी, आर.आर.डी.1995 पेज 576 उद्धरत करते हुये अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्राथमिक एतराज पर भी गौर किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

> " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0वी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

> " Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

तहसीलदार भरतपुर ने आदेश दिनांक 14.10.2014 का अवलोकन किया,

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

तहसीलदार ने अपने उक्त आदेश में स्व. श्री हरीचरन लाल की कथित अपंजीकृत वसीयत दिनांक 8.10.92 पर सम्बन्धित गवाहन वगै0 के बयान वगे. लिये जाने का उल्लेख करते हुये माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या भरतपुर एवं उच्च न्यायालय राज0 जयपुर SBRFA 761/2007 एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया में लीव टू अपील (सिविल) न. (S) 7353/2014 का उल्लेख करते हुये विस्तृत आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। जहॉ तक अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1361 दिनांक 22.10.2014 का प्रश्न है, यह नामान्तकरण तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2014 की पालना में रेस्पो0 के हक में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। जिसमें तहत न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। नामान्तकरण कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है, इसमें किसी व्यक्ति के हक हकूक तय नहीं किये जाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर